बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक प्रतिष्ठान)

AN ISO 9001: 2000 & 14001 : 2009 Certified Company

JAS-ANZ

ISO:9001:2008

Reg.no.:RQ91/8550

कार्य प्रमंडल, पटना–1

कार्यालय : 7, सरदार पटेल मार्ग, पटना–800015 दूरभाष **Phone : +91-612-2217596**

मोबाईल Mobile : +91-9431821557 बेवसाईट Web: http://brpnn.co.in ई–मेल E-mail : spe-patna-1@brpnn.co.in

Doc. No:-BRPNNL/PT1/C001/......1842 अनु	Dt..17/8/19	Page ....

।। अल्पकालीन नीलामी सूचना ।।

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पटना जिला अंतर्गत निम्नांकित स्थानों पर **वित्तीय वर्ष 2019–20** एवं 2020–21 में दिनांक **05–09–2019 से 04–09–2020** तक कुल एक वर्ष की अवधि के लिए पार्किंग वसूली **(Parking Collection using POS Machine)** के प्राधिकार की खुली नीलामी दिनांक **30.08.2019 (शुक्रवार)** को पटना जिलाधिकारी के कार्यालय में की जायेगी। अग्रधन की राशि, नीलामी अभिलेख का मूल्य, नीलामी का स्थान तथा समय अधोलिखित विवरणी में अंकित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	न्यूनतम बोली/ हैसियत की राशि (रूपये लाख में)	अग्रधन की राशि रूपये में	नहीं लौटाने योग्य नीलामी अभिलेख का मूल्य रूपये में	नीलामी का समय
1	2	3	4	5	6
1.	पटना शहर अंतर्गत नेहरू मार्ग अवस्थित जगदेव पथ मोड़ से शेखपुरा मोड़ चार लेन फ्लाईओवर के नीचे पाया संख्या–P4 से P50 तक सेवा पथ के क्रांसिंग को छोड़कर (P8-P9, P10-P11, P14-P15, P22-P23, P31-P32, P41-P42 एवं P42-P43) पार्किंग शुल्क **(Parking Charge Collection using POS Machine)** वसूली कार्य।	23.60 (एक वर्ष के लिए)	47,200/-	5,000/-	11 बजे पूर्वाह्न
2.	पटना शहर अंतर्गत नेहरू मार्ग अवस्थित जगदेव पथ मोड़ से शेखपुरा मोड़ चार लेन फ्लाईओवर के नीचे पाया संख्या–P50 से P91 तक सेवा पथ के क्रांसिंग को छोड़कर (P66-P67, P68-P69, P70-P71, P79-P80 एवं P87-P88) पार्किंग शुल्क **(Parking Charge Collection using POS Machine)** वसूली कार्य।	21.20 (एक वर्ष के लिए)	42,400/-	5,000/-	12 बजे मध्याह्न
3.	गांधी मैदान से चिरैयाटाड़ फ्लाईओवर के पाया संख्या–P1 से P3, P6 से P11, P11 से P12 (Part), P12 से P17 एवं A2 से P17 (Part) डीलक्स शौचालय तक पार्किंग शुल्क **(Parking Charge Collection using POS Machine)** वसूली कार्य।	18.30 (एक वर्ष के लिए)	36,600/-	5,000/-	1.00 बजे अपराह्न

4.	मीठापुर (जी.पी.ओ. गोलम्बर) से स्टेशन रोड फ्लाईओवर के पाया संख्या–P19 तक पार्किंग शुल्क **(Parking Charge Collection using POS Machine)** वसूली कार्य।	14.75 (एक वर्ष के लिए)	29,500/-	5,000/-	3.00 बजे अपराह्न

- नीलामी अभिलेख की बिक्री डाक में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को उनके आवेदन तथा निर्धारित मूल्य जमा करने (जो लौटाया नहीं जायेगा) पर दिनांक **22.08.2019 से 27.08.2019** के **अपराह्न 5:00 बजे** तक की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त नीलामी अभिलेख की बिक्री नहीं की जायेगी।
- नीलामी अभिलेख, अग्रधन की राशि जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा, पैन (स्थायी लेखा संख्या) स्थाई लेखा संख्या आवंटित नहीं होने की स्थिति में स्थाई लेखा संख्या आवंटित करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद, अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र (Return की प्रति), चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड /आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाण तथा जी0एस0टी0 संख्या के प्रति के साथ दिनांक– **28.08.2019** को **5.00 बजे अपराह्न** तक प्राप्त किया जायेगा एवं निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त नीलामी अभिलेख जमा नहीं ली जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त वांछित सभी कागजात के साथ अभिलेख के जाँचोपरान्त प्राधिकार पत्र **दिनांक 29.08.2019** तक निर्गत कर दी जायेगी।
- नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रधन की निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट जो "***वरीय परियोजना अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल पटना–1***" के नाम से पटना स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एकाउन्टपेयी (लेखा आदाता) होना चाहिए के द्वारा जमा करना होगा। अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट जमा करने तथा अन्य शर्त्तो को पूरा करने के उपरान्त ही उन्हें डाक में सम्मिलित होने के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
- एक आवेदक किसी एक हीं पार्किंग स्थल की बंदोबस्ती हेतु निलामी में भाग ले सकता है।
- नीलामी की तिथि – **30.08.2019 (शुक्रवार)**
  नीलामी का स्थान – जिलाधिकारी पटना का कार्यालय
  पीठासीन पदाधिकारी –
  1. जिलाधिकारी पटना द्वारा प्रतिनियुक्त अपर दण्डाधिकारी।
  2. श्री गणेश जी, परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना–1
- अधिक जानकारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना की वेबसाइट www.brpnn.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
- सम्पर्क पदाधिकारी का नामः–
  सुनील कुमार, वरीय परियोजना अभियन्ता, मो0–9431821557

17/8/19

वरीय परियोजना अभियन्ता,
कार्य प्रमंडल पटना–1,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0

17/8/19

नियम एवं शर्तेः—

(1) प्राधिकार पत्र उपरोक्त कंडिका—3 में अंकित तिथि के पूर्व भी किसी कार्य दिवस को कार्यालय में नीलामी अभिलेख जमा करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है।

(2) पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 संख्या की अभिप्रमाणित प्रति नहीं जमा करने पर नीलामी में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

(3) प्राधिकार पत्र निर्गत करने के समय आवेदक का पैन कार्ड/आधार कार्ड की मूल प्रति की मांग की जा सकती है।

(4) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का चार फोटो तथा नीलामी में उनके तरफ से डाक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि का चार अभिप्रमाणित फोटो देना होगा। फर्म रहने पर प्रत्येक साझेदार का अभिप्रमाणित फोटो चार प्रतियों में देना आवश्यक होगा।

(5) साझेदार फर्म रहने पर स्टाम्पयुक्त करार प्रस्तुत करना होगा।

(6) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (जो छः माह के अन्दर का निर्गत होना अनिवार्य होगा) प्रस्तुत करना होगा, तभी उन्हें नीलामी में भाग लेने हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।

(7) नीलामी में भाग लेने वाले को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा जिसका सत्यापन आवश्यकता पड़ने पर कराया जा सकता है।

(8) नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति के लिए यदि जी0एस0टी0 निबंधन अनिवार्य नहीं है, तो उन्हें इस आशय का सक्षम कोर्ट से निर्गत शपथ पत्र (एफिडेविट) देना होगा । अगर किसी व्यक्ति द्वारा आयकर या जी0एस0टी0 निबंधन संबंधी गलत या जाली प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उस व्यक्ति को किसी भी समय नीलामी में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

(9) डाक स्थल पर उच्चतम डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि की एक तिहाई भाग (अग्रधन सहित) नीलामी स्थल पर डाक बोली समाप्त होते हीं बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

(10) यदि नीलामी स्थल पर ही तत्क्षण एक तिहाई राशि जमा करने में उच्चतम डाकवक्ता किसी भी कारणवश विफल रहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की सम्पूर्ण राशि जप्त कर ली जायेगी। किसी भी परिस्थिति में नीलामी स्थल पर एक तिहाई राशि नगद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। केवल विशेष परिस्थिति में रू॰ 10,000/— तक नगद स्वीकार की जा सकती है ।

(11) उच्चतम डाकवक्ता के अग्रधन की राशि उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम डाक की प्रथम तिहाई किस्त की राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

(12) (क) अगर निगम/सरकार द्वारा उच्चतम डाक की राशि का अनुमोदन किसी कारणवश नहीं किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उनके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण राशि लौटा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त उनका कोई दावा इस सम्बन्ध में मान्य नहीं होगा।

(ख) उच्चतम डाक की राशि का अनुमोदन निगम/सरकार से प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा करने एवं पार्किंग का प्राधिकार सौंपने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

(ग) किसी भी पार्किंग की नीलामी किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

(13) नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता को निगम/सरकार से अनुमोदित डाक बोली की दूसरी किस्त जो प्रथम किस्त में जमा की गयी राशि के साथ अनुमोदित डाक की राशि की दो तिहाई हो, **04 सितम्बर, 2019** तक जमा कर देना होगा तथा उन्हें **04—09—2019** से दखलकब्जा ले लेना होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी पहली किस्त की सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।

(14) पार्किंग शुल्क की वसूली की बन्दोवस्ती के लिए जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता स्तर के दण्डाधिकारी द्वारा नीलामी का कार्य निगम द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर सम्पन्न कराया जायेगा।

(15) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता को नीलामी कार्य में निगम द्वारा प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

(16) नीलामी समाप्त होने के पश्चात् अपर समाहर्त्ता एवं निगम द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी बीड शीट पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर मुहरबन्द लिफाफे में बीड शीट एवं सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य कागजात निश्चित रूप से निगम को उपलब्ध करा देंगे। बीड शीट में उच्चतम डाक बोली की राशि को अंकों एवं शब्दों में नामित अपर समाहर्त्ता द्वारा लिखा जायेगा।

(17) अपर समाहर्त्ता अग्रसारण पत्र भी निगम मुख्यालय को बीड शीट के साथ उपलब्ध करायेंगे कि पार्किंग विशेष के नीलामी का उच्चतम डाक की राशि कितनी थी। इस आशय का सूचना नीलामी समाप्त होते ही संबंधित जिला पदाधिकारी को भी अपर समाहर्त्ता द्वारा निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) किसी भी परिस्थिति में नीलामी को स्वीकार करने या रद्द करने अथवा नीलामी के नियम एवं शर्तों का आंशिक संशोधन का अधिकार निगम/सरकार का रहेगा।

(19) निगम/सरकार को बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा सभी डाक बोली को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।

(20) किसी पार्किंग विशेष की नीलामी बगैर कारण बताये स्थगित करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

(21) अगर उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी कारणवश सरकार द्वारा सरकारी अवकाश घोषित की जाती है तब भी नीलामी का कार्यक्रम निर्धारित तिथि के अनुसार की जायेगी एवं कार्यालय खुला रहेगा।

(22) उपरोक्त नीलामी सूचना के संबंध में किसी तरह का संशोधन/शुद्धि पत्र बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के वेबसाइट www.brpnn.bih.nic.in पर हीं प्रकाशित किया जाएगा।

(23) नीलामी अभिलेख को किसी भी कार्य अवधि में दिनांक **22.08.2019 से 27.08.2019** तक वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल पटना–1, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, 7, सरदार पटेल मार्ग, पटना–800015 के पास निर्धारित मूल्य जमा कर लेखा शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

(24) नीलामी के दौरान किसी पार्किंग की डाक के समय यदि पीठासीन पदाधिकारी यह महसूस करते हैं कि नीलामी की बोली अप्रत्याशित हो रही है जिससे की नीलामी प्रक्रिया बाधित हो सकती है तो पीठासीन पदाधिकारी किसी भी डाकबक्ता या सभी को बोली की गई उच्चतम बोली की राशि का एक तिहाई राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगें। ऐसा नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि को जब्त करने का आदेश पारित कर सकेगें।

(25) वैसे व्यक्ति संस्था जिन्होने वर्ष 2013–14 से 2018–19 की अवधि में निगम के साथ राशि जमा करने में धोखाधड़ी की है उन्हें नीलामी में भाग लेने हेतु अभिलेख की विक्री नहीं की जायेगी ।

(26) **<u>पार्किंग दर तालिका</u>**

वाहन का प्रकार	पहले तीन घंटे का दर	पहले तीन घंटे के उपरांत प्रत्येक अतिरिक्त घंटे का दर
दो पहिया वाहन	Rs.10/-Per 3 hrs	Rs.10/-Per additional hrs
चार पहिया वाहन	Rs.20/-Per 3 hrs	Rs.20/-Per additional hrs

17/8/19

वरीय परियोजना अभियन्ता,
कार्य प्रमंडल पटना–1
17/8/19